भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 766
दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में जेजेएम का कार्यान्वयन

766. श्री देवेश शाक्यः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के कासगंज ब्लॉक के अंतर्गत पाथेरकी गांव सहित कई गांवों में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत अपूर्ण, घटिया गुणवत्ता और विफल जल आपूर्ति योजनाओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाथेरकी गांव में कार्य किया गया है परन्तु जल आपूर्ति केवल आधे गांव तक ही सीमित है और अभी तक मुश्किल से 1 से 10 बार जल आपूर्ति की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा उपरोक्त संदर्भ में इन शिकायतों की जांच करने के लिए किसी स्वतंत्र संपरीक्षा, तकनीकी निरीक्षण अथवा फीडबैक तंत्र की स्थापना की गई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों में संबंधित एजेंसियों, ठेकेदारों अथवा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है; और
(ङ) क्या सरकार का निकटवर्ती लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संपूर्ण गांव को सार्वभौमिक और प्रभावी जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में कोई विशेष योजना शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के कासगंज ब्लॉक के अंतर्गत पाथेरकी गांव सहित देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति के प्रावधान हेतु प्रतिबद्ध है।

इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में लागू होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ग्राम पंचायत पथरेकी के राजस्व ग्राम पथरेकी और ग्राम पंचायत अथाइडिया के ग्राम मुद्दपुर और त्रिलोकपुर को ग्राम पंचायत पथरेकी, विकास खंड कासगंज में चल रही पेयजल योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। पथरेकी पेयजल योजना के तहत, प्रस्तावित 15.81 किलोमीटर पाइपलाइन के सापेक्ष, 12.42 किलोमीटर बिछाया गया है और प्रस्तावित 804 घरेलू नल कनेक्शनों के सापेक्ष, 347 घरेलू नल कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। पंप हाउस, सोलर पैनल और बाउंड्रीवॉल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और ग्राम पथरेकी के राजस्व गांव मुद्दपुर, त्रिलोकपुर और नगला वहेटा बस्ती में सीधे पंपिंग के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। योजना के तहत, 325 किलोलीटर/12 मीटर की क्षमता वाले ओवरहेड टैंक का स्टेजिंग कार्य 65% पूरा हो गया है, और ऊर्ध्वाधर दीवार का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जल जीवन मिशन के तहत जनपद कासगंज में 390 पाइप जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, एक तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी, मैसर्स आरवी एसोसिएट्स को सूचीबद्ध किया गया है। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण विभाग द्वारा अनुमोदित क्यूएपी (गुणवत्ता आश्वासन योजना) के अनुसार राज्य जल और स्वच्छता मिशन द्वारा नामित तृतीय-पक्ष एजेंसियों के माध्यम से आपूर्ति से पहले विनिर्माण फर्म के कारखाने में किया जाता है। आपूर्ति के बाद भी, कार्य की साईट से स्वैच्छिक रूप से नमूना लिया जाता है और एनटीएच/सीआईपीईटी/श्री राम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान आदि द्वारा परीक्षण किया जाता है। इसके साथ ही जिले में संचालित तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई) टीम सामग्री की गुणवत्ता व निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करती है।

(ख) राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ग्राम पथरेकी की मेमडी और मारूपुर बस्तियों में अभी तक जलापूर्ति उपलब्ध नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत पथरेकी के माध्यम से मथुरा-बरेली राजमार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ) जैसा कि राज्य द्वारा सूचित किया गया है, जेजेएम के तहत, चल रही पेयजल योजनाओं से संबंधित शिकायतें- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली), तहसील दिवस, राज्य पेयजल और स्वच्छता मिशन हेल्पलाइन नंबर 18001212164, वेबसाइट jalsamadhan.in, ग्राम प्रधानों से प्राप्त प्रतिक्रिया, दूरभाष के माध्यम से प्राप्त फीडबैक, और माननीय जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का जल निगम (ग्रामीण) द्वारा तुरंत निवारण किया जाता है। शिकायत निवारण के संबंध में असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त होने की स्थिति में, शिकायत की पुन जांच की जाती है और शिकायत का समुचित निदान सुनिश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि फर्म शिकायतों का समुचित रूप से समाधान करने में असफल रहती है तो फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है। पथरेकी पेयजल योजना के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ वर्ष 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। तदनुसार, जल जीवन मिशन को बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2028 तक जारी रखने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
